न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश, सं0–2 नोहर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी –: **रामकन्या सोनी,**
R.J.S.(DJ Cadre)

जमानत आवेदन सीआईएस संख्या –: 147 / 2026

सेशन प्रकरण सं0–03 / 2025 राजस्थान राज्य बनाम दीपक आदि
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 211 / 2024 पुलिस थाना गोगामेड़ी
अपराध अंतर्गत धारा 103(1), 115(2), 126(2), 191(2), 190, 331(8), 191(3), 109(1), 118(2), 127(2) बी.एन.एस. व 4 / 25 आर्म्स एक्ट

विजेन्द्र उर्फ किडिया पुत्र रूलीचंद निवासी लाखनबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, नोहर।

––अप्रार्थी

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा
483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थिति :–

01. श्री सितेन्द्र सिंह मलिक, अधिवक्ता – प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
02. श्री दिनेश भाटी, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक :– 02–06–2026

01. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से यह **तृतीय** जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। सेशन प्रकरण तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

02. प्रार्थी / अभियुक्त के अधिवक्ता का अपने जमानत आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क रहा है कि प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 25–09–2024 से

लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के सह–अभियुक्तगण विनोद, मुकेश कुमार, सन्नी, धीरज, सुनील कुमार उर्फ वीआईपी बेनीवाल की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किसी ऐसे अपराध का आरोप नहीं है, जिसकी सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय हो। जमानत पर रिहा होने पर उसके भागने व गवाहों को डराने या धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी इलाका हाजा का रहने वाला है, इसलिए उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना इनकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत *S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 861/2021 Khet Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan Dated 25-01-2021* पेश किया।

03. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

04. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। संबंधित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

05. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16–09–2024 को परिवादी बिशन सिंह पुत्र भवर सिंह ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट दी की दिनांक 15–09–2024 को शाम के वक्त मेरा लड़का मनोज सिंह मेरे भाई के लड़के नरपत सिंह पुत्र किशन सिंह, गौतम सिंह पुत्र श्री राम सिंह तीनों जने गोगामेड़ी मेला देखने के लिये गए थे। मेरे भाई का लड़का विक्रम सिंह पुत्र किशन सिंह बलजीत घिंटाला निवासी सरदारगडिया टैंट पार पार्किंग ऐरिया गोगामेड़ी में काम करता है। विजेन्द्र उर्फ किडीया मेला में होटल का काम करता है, जिसको मेरा लड़का मनोज व भतीजा गौतम सिंह आदि जानते थे। वक्त करीब 08 पीएम पर मेरे लड़के मनोज तथा विक्रम सिंह के साथ चारपाई की बात

को लेकर विजेन्द्र उर्फ किडीया के साथ बोलचाल हो गई। इस बात को लेकर विजेन्द्र उर्फ किडीया व उसके साथी मेरे लडके के साथ नाराज होकर आईदा देख लेने की धमकी देकर चले गए। मेरा लड़का मनोज सिंह व गौतम सिंह, नरपत सिंह तीनों मेला देखकर रात्रि मे बलजित घिटांला के टैंट में चले गयं। वहां पर पहले से मेरे भाई का लड़का विक्रम सिंह, जयदीप, रोहताश व दीपक बैठे थे तथा ये तीनों भी वहां पर जाकर चारपाई पर लेट गए। इतने वक्त में करीब रात्रि के 2.00 – 2.30 बजे के आस पास विजेन्द्र उर्फ किडीया, वीआईपी बेनिवाल, जयदीप उनके साथ 4–5 अन्य आदमियों के लेकर सभी के हाथों में चाकू, बरछी, लाठियां व कापा लेकर जान से मारने की नियत से टैंट के अन्दर आये और आते ही हमारे लड़कों पर जान से मारने के ईरादे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मारपीट में मेरे लड़के मनोज कुमार के सभी ने एक राय होकर हथियारों से मारपीट की जिसके शरीर पर धारदार हथियार की चोट लगने से उसकी मौका पर मौत हो गई। मौका पर मौजूद गौतम, जयदीप, राहताश, दीपक व नरपत ने रोला मचाया तो ये सभी वहां से भाग गए। इस मारपीट में मेरे लड़के के अलावा नरपत, विक्रम, जयदीप और अजय चोटिल हो गये, जिनको ईलाज हेतु गोगामेड़ी हॉस्पीटल लेकर गये तो नरपत सिंह व विक्रम सिंह को ईलाज हेतु रैफर कर दिया। आदि तथ्यों के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है–:

Sr. No.	*FIR No.*	*Court*	*Under Section*	*Case No.*	*Status*	*Date of Arrest*	*Remark*
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

06. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा 103(1) सपठित धारा 190, 109(1) सपठित धारा 190, 115(2), 118(2), 126(2), 127(2), 331(8) **बी.एन.एस.** का आरोप विरचित किया जाकर अभियोजन पक्ष के कुल **16** साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी

है। हालांकि प्रकरण के सह–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का तथ्य आया है, जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था एवम् उनसे संबंधित गवाहान पक्षद्रोही रहे थे। **प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है,** जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है तथा उसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक को आइंदा देख लेने की धमकी देने का अंकन है। प्रकरण के दो आहत साक्षीगण नरपत व विक्रम की साक्ष्य लेखबद्ध की जानी शेष है। हालांकि गवाह पी0ड0 1 जागर सिंह, पी0ड0 3 जयदीप, पी0ड0 4 दिनेश कुमार, पी0ड0 5 अजयदेव, पी0ड0 6 दीपक कुमार, पी0ड0 13 सागर उर्फ कालूराम पक्षद्रोही रहे हैं, किन्तु गवाह विशन सिंह ने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त विजेन्द्र उर्फ कीड़िया का घटना में शामिल होने का अभिकथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त विजेन्द्र उर्फ कीडिया का द्वितीय जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–07–2025 को एवम् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन दिनांक 16–10–2025 को खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी बिशन सिंह के पुत्र मनोज सिंह के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर **हत्या** कर देने का आरोप है। प्रकरण में शेष महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की जानी शेष है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक दृष्टांत *S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 861/2021 Khet Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan Dated 25-01-2021* में प्रतिपादित सिद्धांतों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रकरण की उक्त विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

–: आदेश :–

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त विजेन्द्र उर्फ किडिया पुत्र रूलीचंद निवासी लाखनबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत यह

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 अस्वीकार कर **ख़ारिज़** किया जाता है।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

08. आदेश आज दिनांक **02–06–2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.23 08:31:40 IST